



यू.टी.वेयर. जी. आईएनडी

आज, 1:35 पूर्वाह्न



1/1/2023-न्यायपालिका,  
सेल-4 (भाग-VI) भारत  
सरकार गृह मंत्रालय  
\*\*\*\*\*

बिंदू कलिका नई दिल्ली  
दिनांक 8 जनवरी, 2024

श्री. अमृगिणल मदान,  
अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट  
कांग्रेस, 1/16-ए, आसफ ऑल रोड, नई दिल्ली: 110002।

विषय: देश में निहित स्थायी द्वारा भड़काए गए इन्डियन समुदाय के  
बीच अशांति को फिर से उभरने से रोकने के लिए गृह  
मंत्रालय के लैटर हेड पर आधिकारिक संचार के लिए अनुरोध।

महोदय,

मुझे आपके पत्र क्रमांक का संदर्भ लेने का निर्देश दिया गया है। By/  
MHA/297/2023-24 दिनांक 8 जनवरी, 2024 को ऊपर उद्धृत विषय पर और यह कहना कि  
भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं। 10 साल  
की कैद और जुर्माने के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा  
106(2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के  
परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

5/1/24  
(Subodh)

भारत सरकार के अवर सचिव

